

प्रेषक,

खान ज़ीशान मसूद,

न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय

सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।

सेवा में,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,

बाराबंकी।

**विषय:** माननीय महोदय के द्वारा प्राप्त कराई गई आकस्मिक निरीक्षण की द्वितीय प्रति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (वह द्वितीय प्रति जो कि दिनांक- 09.09.2022 को शाम लगभग 06.00 बजे प्राप्त कराई गई)।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आपके द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में दिनांक- 07.09.2022 को एक स्पष्टीकरण मांगा गया था जो कि पूर्व में आपकी सेवा में प्रेषित किया जा चुका है।

इस अनुक्रम में आपके कार्यालय द्वारा एक आकस्मिक निरीक्षण आख्या दिनांक- 09.09.2022 को देर शाम प्राप्त कराई गई जिसमें आपके द्वारा कुछ अतिरिक्त तथ्य इंगित किये गये थे जो कि मूल निरीक्षण के सम्बन्ध में भेजे गये पत्र में नहीं थे। यह स्पष्टीकरण नये तथ्यों के सम्बन्ध में आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि मेरी अनुपस्थिति श्री विपिन कुमार सिंह, पेशकार की अनुपस्थिति, दैनिक पंजिका का न्यायालय में न होना तथा पी.ओ. डायरी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण पूर्व में आपकी सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त महेश बनाम श्रीपाल, रामलुटावन बनाम राममूर्ति तथा राशिदा बानो बनाम मो. इश्तियाक के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आपकी सेवा में प्रेषित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पत्रावलियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आहूत किया गया है जो निम्न है-

**मूलवाद सं. 293/2014, राम जानकी जी महाराज बनाम सावित्री देवी आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-**

माननीय महोदय द्वारा इस पत्रावली को मूलवाद सं. 298/2014 इंगित किया गया है जबकि इस पत्रावली का संख्यांक 293/2014 है। इस पत्रावली के सम्बन्ध में माननीय महोदय द्वारा यह टिप्पणी की गयी है कि इस पत्रावली में दिनांक 11.08.2022 के पक्षत कोई तिथि नियत नहीं की गयी है जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में दिनांक 11.08.2022 को 25.08.2022 की तिथि नियत की गयी है और उक्त आदेश पत्रिका पर सम्बन्धित अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी हैं। दिनांक- 25.08.2022 को भी पत्रावली में दिनांक- 07.09.2022 की तिथि इंगित की गयी है।

इस पत्रावली के सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराना है कि यह पत्रावली मंसूखी बैनामा की है और मेरे द्वारा पूर्व में भेजी गयी अन्तरित किये जाने वाली सूची का हिस्सा है। दिनांक- 11.08.2022 को मेरे द्वारा इस पत्रावली में यह आदेश पारित किया गया था कि माननीय जनपद न्यायाधीश को अन्तरण हेतु पत्र भेजा गया है और पत्रावली में कुछ प्रतीक्षा किया जाना न्यायोचित होगा। इसी तरह दिनांक- 25.08.2022 को भी यही आदेश पारित हुआ है। यह आदेश पत्रिका पत्रावली पर सिली नहीं पाई गई अतः यह



सम्भव है कि आपके अवलोकन से रह गयी है। कोई त्रुटि जानबूझकर नहीं की गयी है। आपकी यह बात सही है कि दिनांक- 11.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर प्राप्त नहीं कराये गये हैं जिस सम्बन्ध में पेशकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि मैं पत्रावली लेकर आया था परन्तु आप निर्णय टाइप करने में व्यस्त थे अतः हस्ताक्षर प्राप्त करने से रह गया। मेरे द्वारा कड़ी चेतावनी व आदेश पेशकार को दिये गये हैं। आदेश पत्रिका दिनांक- 11.08.2022 व दिनांक- 25.08.2022 की प्रतिलिपि संलग्न है।

**मूलवाद सं. 30/2010, तियाराम आदि बनाम भारतलात आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-**

माननीय महोदय द्वारा इस पत्रावली के सम्बन्ध में यह टिप्पणी की गयी है कि दिनांक- 27.07.2022 के बाद कोई तिथि नियत नहीं की गयी है। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि पत्रावली दिनांक- 27.07.2022 को पेश हुई और इसमें दिनांक- 10.08.2022 की तिथि नियत की गयी। इसके उपरान्त पत्रावली में दिनांक- 07.10.2022 की तिथि नियत है। आपकी यह बात सही है कि दिनांक- 06.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर प्राप्त नहीं कराये गये हैं जिस सम्बन्ध में पेशकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि मैं पत्रावली लेकर आया था परन्तु आप निर्णय टाइप करने में व्यस्त थे अतः हस्ताक्षर प्राप्त करने से रह गया। मेरे द्वारा कड़ी चेतावनी व आदेश पेशकार को दिये गये हैं।

**द्विषिक वाद सं. 73/2021, सरकार बनाम राममिलन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-**

माननीय महोदय द्वारा इस पत्रावली के सम्बन्ध में यह टिप्पणी की गयी है कि इस पत्रावली में दिनांक- 26.07.2022 के उपरान्त कोई तिथि नियत नहीं की गयी है। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि पत्रावली में दिनांक- 26.07.2022 को दिनांक- 02.08.2022 की तिथि नियत की गयी। उस दिन अभियुक्त राममिलन हाजिर रहे तथा उनके हस्ताक्षर आदेश पत्रिका पर अंकित हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि दिनांक- 02.08.2022 को सभी पक्षकार हाजिर होकर सभी ने अपना सुलहनामा दाखिल किया है। पत्रावली पर सुलहनामा शपथ पत्र, जो कि दिनांक- 02.08.2022 का है, उपलब्ध है। इसके उपरान्त पत्रावली दिनांक- 16.08.2022 के लिए नियत की गयी थी जिस दिन समुचित आदेश पारित किये गये थे।

**मूलवाद सं. 319/2016, मो. इफ्तिखार बनाम मो. आमिर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-**

माननीय महोदय द्वारा इस पत्रावली के सम्बन्ध में यह टिप्पणी की गयी है कि इस पत्रावली में दिनांक- 30.07.2022 के उपरान्त कोई तिथि नियत नहीं की गयी है। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि पत्रावली में दिनांक- 24.08.2022 नियत थी, जिस दिन सभी पक्षकार उपस्थित आये। क्योंकि पक्षकार एक परिवार के थे अतः न्यायालय द्वारा सुलह का भरसक प्रयास किया गया तथा विस्तृत आदेश भी पारित किया गया। पक्षकारों की बहस क59 व ग61 सुनी गयी व आदेश हेतु पत्रावली दिनांक- 05.09.2022 नियत की गयी। उक्त तिथि पक्षकार द्वारा नोट भी की गयी है। इसके उपरान्त दिनांक- 05.09.2022 को क59 पर समुचित आदेश पारित कर दिया गया। माननीय महोदय की यह बात सही है कि आदेश पत्रिका दिनांक- 30.07.2022 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है जिस सम्बन्ध में पेशकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि मैं पत्रावली लेकर आया था परन्तु आप निर्णय टाइप करने में व्यस्त थे अतः हस्ताक्षर प्राप्त करने से रह गया। मेरे द्वारा कड़ी चेतावनी व आदेश पेशकार को दिये गये हैं।

**मूलवाद सं. 696/2009, सुमिरता बनाम हिरासत अली के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-**

माननीय महोदय द्वारा इस पत्रावली के सम्बन्ध में यह टिप्पणी की गयी है कि इस पत्रावली में दिनांक- 29.07.2022 के उपरान्त कोई तिथि नियत नहीं की गयी है। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि पत्रावली में दिनांक- 29.07.2022 को पेश हुई तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली लंच बाद निर्णय हेतु पेश करने का

आदेश पारित किया गया। लंबे बाद पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत होने पर यह पाया गया कि पत्रावली में कमीशन आख्या उपलब्ध नहीं है अतः स्पष्टीकरण हेतु पत्रावली दिनांक- 12.09.2022 को नियत की गयी जिसके उपरान्त पत्रावली दिनांक- 19.09.2022 को नियत है। माननीय महोदय की यह बात सही है कि आदेश पत्रिका दिनांक- 01.07.2022 व 08.07.2022 पर हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक- 01.07.2022 को पूर्व पीठासीन अधिकारी कार्यरत नहीं तथा दिनांक- 08.07.2022 को पेशकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि मैं पत्रावली लेकर आया था परन्तु आप निर्णय टाइप करने में व्यस्त थे अतः हस्ताक्षर प्राप्त करने से रह गया। मेरे द्वारा कड़ी चेतावनी व आदेश पेशकार को दिये गये हैं।

**मूलवाद सं. 283/1991, श्रीमती बानो बनाम गुलाम मोहम्मद आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-**

माननीय महोदय द्वारा इस पत्रावली के सम्बन्ध में यह टिप्पणी की गयी है कि इस पत्रावली में दिनांक- 24.08.2022 के उपरान्त कोई तिथि नियत नहीं की गयी है। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि पत्रावली में दिनांक- 24.08.2022 को अन्तिम बहस सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर आदेश पत्रिका पर पृष्ठांकित हैं। इसके उपरान्त शेष बहस सुनकर पत्रावली में दिनांक- 15.09.2022 वास्ते निर्णय नियत की गयी थी जिस पर भी वादी अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा बहस सुनकर कुछ नोटिंग की गयी थी जो कि आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि साफ सफाई हेतु ग्राम न्यायालय में कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं है। मेरे द्वारा कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साफ सफाई बनाये रखने के समुचित निर्देश दिये गये हैं। पेशकार तथा वाद लिपिक को पत्रावली के रख रखाव के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं।

माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि आपके समस्त आदेशों का शब्दसः पालन होगा। मेरे द्वारा आपको आश्वस्त किया जाता है कि भविष्य में आपके आदेशानुसार पूरी निष्ठा से कार्य किया जाता रहेगा। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि इस न्यायालय द्वारा एक्शन प्लान की 25 पत्रावलियां निस्तारित किया जा चुकी हैं। माननीय महोदय की सेवा में यह भी कहना है कि आशुलिपिक न होने के कारण मुझे स्वयं आदेश व निर्णय, जमानत, नये दावे टाइप करने पड़ते हैं जिस कारण कुछ कमियां रह जाती हैं। माननीय महोदय से निवेदन है कि यदि सम्भव हो तो एक आशुलिपिक नियुक्त करने की महान कृपा करें जिससे कि एक्शन प्लान की पत्रावलियां निस्तारित की जा सकें।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक- 16/09/2022


भवदीय



खान ज़ीशान मसूद

16.09.22

न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय  
सिरौली गौसपुर, बाराबंकी

 16/9/2022

सेवा में,

श्रीमान न्यायाधिकारी महोदय,

ग्राम न्यायालय, सिरौलीगौसपुर,

बाराबंकी।

**विषय:** माननीय महोदय के द्वारा आहूत स्पष्टीकरण।


महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण आख्या में उल्लिखित पत्रावलियों के विषय में यह कहना है कि मेरे द्वारा उक्त पत्रावलियां लिखकर चैम्बर में लाई जाती हैं किन्तु आप सदैव आदेश टाईप करने में व्यस्त रहते हैं अतः कुछ पत्रावलियों में हस्ताक्षर नहीं हो पाते हैं।

माननीय महोदय, कोई भी त्रुटि जानबूझकर नहीं की गयी है। कृपया त्रुटियों को क्षमा करें तथा मुझे उन्मोचित करने की कृपा करें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में सावधानी से कार्य करूंगा।

दिनांक- 16/09/2022

भवदीय



**विपिन कुमार सिंह**

रीडर, ग्राम न्यायालय

सिरौली गौसपुर, बाराबंकी